राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्याः— 103 / प्रा0पत्र / 2025 दायरा दिनांक :—30.04.2025

1. देवीसिंह आ0 चन्दन सिंह जाति मीणा निवासी उमर तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज.

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला बून्दी राज.

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :— राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956
की धारा 136 के तहत वास्ते इंद्राज दुरस्ती।

वकील प्रार्थी :— श्री गोविन्द झंवर
वकील अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक :— 25 / 08 / 2025

उपरोक्त विषय में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि खाता संख्या नया 175 पुराना 157 की भूमि खसरा संख्या 1038, 1065, 1068, 1372, 1373, 1374 कुल किता 6 कुल रकबा 2.0314 हैक्टेयर वाके ग्राम उमर पटवार मण्डल उमर तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विस्थित है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम कैलाश पुत्र चन्दन सिंह दर्ज किया हुआ है उक्त इन्द्राज गलत एवं अशुद्ध है जबकि प्रार्थी का नाम देवीसिंह मीणा पिता श्री चन्दन सिंह मीणा है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि में प्रार्थी का नाम देवीसिंह मीणा पुत्र चन्दन सिंह के नाम नामान्तकरण खोला गया है जिसमें प्रार्थी का नाम कैलाश पुत्र चन्दन सिंह दर्ज कर दिया है उक्त इन्द्राज गलत व अशुद्ध है जबकि प्रार्थी का नाम देवीसिंह मीणा है। प्रार्थना पत्र की चरण सख्या 1 में वर्णित जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम देवीसिंह मीणा पुत्र चन्दन सिंह के नाम नामान्तकरण खोला गया है जिसमें प्रार्थी का नाम कैलाश पुत्र चन्दन सिंह दर्ज कर दिया है उक्त इन्द्राज व अशुद्ध है जबकि प्रार्थी का नाम देवीसिंह मीणा है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज कर दिये जाने से प्रार्थी उक्त भूमि पर बैंक से ऋण वगेरा व सहकारी एवं सरकारी योजनाओं, का लाभ नही उठा पा रहा है। प्रार्थी ने पटवारी हल्का से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज गलत इन्द्राज कैलाश पुत्र चन्दन सिंह के अंकन को विलोपित कर देवीसिंह मीणा दर्ज करने का अनुरोध किया तो पटवारी हल्का ने तहसीलदार साहब के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया लेकिन प्रार्थीया का नाम दुरूस्त नहीं किया गया है और अन्तिम बार राजस्व केम्प

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

तहसील कार्यालय में लगा तो उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त करने से मना कर दिया इस कारण प्रार्थी श्रीमान के समक्ष इन्द्राज दुरूस्ती बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता है। उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत का कारण दिनांक 18.03.2025 को उत्पन्न हुआ है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि ग्राम उमर पटवार हल्का उम्र तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विस्थित होने एवं लेण्ड रिकॉर्ड ऑफीसर की हैसियत से श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जमाबन्दी भूमि खाता संख्या नया 175 पुरानी 157 की भूमि खसरा संख्या 1038, 1065, 1068, 1372, 1373, 1374 कुल किता 6 कुल रकबा 2.0314 हैक्टेयर वाके ग्राम उमर पटवार मण्डल उमर तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0 में दर्ज मुस्मात कैलाश पिता चन्दन सिंह के अंकन को दुरूस्त कर उक्त के स्थान पर प्रार्थी का नाम देवीसिंह मीणा दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

प्रकरण में अप्रार्थी तहसीलदार हिण्डोली के पत्रांक :— राजस्व / 25 / 2188 दिनांक :—18.07.2025 से प्राप्त जॉच रिपोर्ट अनुसार मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ग्राम उमर के खाता संख्या 175 में प्रार्थी का नाम कैलाश पिता चन्दनसिंह दर्ज रिकॉर्ड है। मजमा—ए—आम में प्राप्त जानकारी व ग्रामवासियों को उक्त खाता नम्बर में दर्ज कैलाश पिता चन्दनसिंह व देवीसिंह पिता चन्दनसिंह एक ही व्यक्ति के नाम होने से रिकॉर्ड में दर्ज कैलाश पिता चन्दनसिंह के स्थान पर प्रार्थी का सही नाम देवीसिह पिता चन्दनसिंह दर्ज किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थी का उक्त नाम विरासत के इंतकाल से दर्ज हुआ है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का सही नाम देवीसिंह पिता चन्दनसिंह है जिसे मुताबिक प्रार्थना पत्र के दुरूस्त किए जाने का कथन किया गया।

राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में वर्णित है कि "भूमि अभिलेख अधिकारी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हिंतबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें। कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी। जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं किया गया हो, ऐसे प्रावधान दिए हुए है।"

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को एवं जबाव अप्रार्थी पेरोकार सरकार एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र, स्थाई लेखा संख्या कार्ड, परिवार राशन कार्ड, बैंक खाता डायरी, जाति प्रमाण–पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, माध्यमिक विद्यालय परीक्षा, 2011 की अंकतालिका पेश किए है जिसमें प्रार्थी का नाम देवीसिंह पुत्र चन्दनसिंह दर्ज है। प्रकरण में जबाव अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा भी प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना उचित बताया है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य है।

–: <u>क्रियात्मक आदेश</u> :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर भूमि वाके ग्राम उमर पटवार मण्डल उमर के खाता संख्या 175 में दर्ज सहखातेदार कैलाश पुत्र चन्दनसिंह के स्थान प्रार्थी का सही नाम देवीसिंह पुत्र चन्दनसिंह शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहर्रीर जारी की जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :– 25.08.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

Sd/- 25/08/2025

(शिवराज मीणा)

उपखण्ड अधिकारी

हिण्डोली

आर.ए.एस

उपखण्ड अधिकारी

हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)